कार्यालय
प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय मैनपुर
जिला–गरियाबंद (छ.ग.)
govtcollege.mainpur@gmail.com

क.   /स्था./अ.व्या./2026   मैनपुर , दिनाँक– 02.02.2026

//अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त,उ.शि.संचालनालय रायपुर का पत्र कमांक 289/01/आउशि/राज स्था./नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23.07.2025 के परिपालन में नवीन शासकीय महाविद्यालय मैनपुर में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता/ अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 09.02.2026 को सायं 05.00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट अथवा स्वयं उपस्थित होकर (पावती प्राप्त करें) जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा :– अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक ।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

विषय/पदों का विवरण :–

रिक्त पद एवं संख्या		
कमांक	**विषय**	**सहायक प्राध्यापक**
01.	इतिहास	01
कुल संख्या :–		01

टीप:– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्ते :–

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण–पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल.,पी–एच.डी., अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

02. दिनांक 09.02.2026 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गए आवेदन को मान्य नही किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।

03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 11.02.2026 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा।

05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 16.02.2026 तक होगी।

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 17.02.2026 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाइट अथवा सूचना पटल में किया जावेगा।

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है। साथ ही अभ्यर्थी किसी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नही है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नही पाए जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त नही की गई है।

08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नही होता है तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नही किया जाएगा।

09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नही होगा।

10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :–

क.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
01	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/–	300/–
02	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41,600/– प्रतिमाह अधिकतम)	1200/– (30,000/– प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
03	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/–	350/–
04	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/– (50,000/– प्रतिमाह अधिकतम)	1400/– (35,000/– प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय मैनपुर, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) पिन कोड– 493888 एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे ।

12. इस विज्ञापन के तहत् व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माना जायेगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नही कहलायेंगे।

13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत,यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. इन्हे सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यकम, कीडा गतिविधियॉ, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नही होंगे।

सही/
प्राचार्य
प्राचार्य
नवीन शासकीय महाविद्यालय मैनपुर
जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

मैनपुर ,दिनाँक– 02.02.2026

पृ.क.783/स्था./ अ.व्या./2026

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अग्रणी शासकीय वीर सुरेन्द्रसाय महाविद्यालय गरियाबंद छ.ग. को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2/02/2026
प्राचार्य
प्राचार्य
नवीन शासकीय महाविद्यालय मैनपुर
जिला-गरियाबंद (छ.ग.)